राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1899/2012/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स दक्ष एन्टरप्राईजेज,
सी–119, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 04/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वृत्त–बांसवाड़ा (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 356/आरवैट/ए/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.01.2011 से आरोपित शास्ति रूपये 49,718/– को अपास्त किया है, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाड़ा द्वारा खेरवाड़ा टोल नाके के पास वाहन संख्या आर.जे.14/जीसी–2369 को चैक किया गया। वाहन की केबिन की तलाशी पर क्रेता मैसर्स दक्ष एन्टरप्राईजेज, जयपुर के नाम से जारी बिल नं. 5742 एवं 5713 पाये गये। बिलों पर टिन नम्बर 08971608958 पाये गये जो उक्त फर्म से संबंधित नहीं थे। सशक्त अधिकारी द्वारा कारण बताओ सम्मन जारी करने के उपरान्त व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 49,718/– आरोपित की गयी।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधि के विरूद्ध एवं मामले के तथ्यों के विपरीत है। बहस में आगे कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक, अन्यायिक व गलत कारणों से शास्ति आदेश को अपास्त किया गया है, तथा इसके साथ अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिल नम्बर 5713 दिनांक 19.01.2011 व 5742 दिनांक 21.01.2011 के द्वारा माल मैसर्स सेन्चूरी मैकेनिकल सिस्टम (इण्डिया) प्रा0 लिमिटेड, मुम्बई से मैसर्स दक्ष एन्टरप्राईजेज, सीए–119, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर को आ रहा था। परिवहनित माल के साथ वांछित बिल व बिल्टी संलग्न थे जिसमें प्रेषक का नाम, पता व माल का विवरण प्रदर्षित किया गया था। सशक्त अधिकारी ने गलत टिन नं. के आधार पर शास्ति आरोपित की है। मैसर्स दक्ष एन्टरप्राईजेज के मालिक श्री दीपक माथुर को होना बताया है तथा वे मैसर्स कुशल इंजीनियर्स एन्टरप्राईजेज में एच.यू.एफ. कर्ता की हैसियत से कार्य करते हैं। कम्पनी द्वारा त्रुटिवश बिलों पर मैसर्स कुशल इंजीनियर्स एन्टरप्राईजेज के टिन नं. अंकित कर दिये गये। गलत टिन नं. अंकित करना एक तकनीकी भूल की श्रेणी में आता है। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा सहायक **वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स ओम केटल फीड्स, पीपाड़ सिटी, आदेश दिनांक 31.10.2002 (2002) 1 आरटी आर 510 (आरटीबी), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर बनाम मैसर्स श्री माणक इण्डस्ट्रीज, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदेश दिनांक 06.03.2002 (2002) 1 आरटीआर 126 (आरटीबी) एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, अजमेर बनाम मैसर्स शंकर एन्टरप्राईजेज, जयपुर आदेश दिनांक 15.03.2002 (2002) 1 आरटीआर 162 (आरटीबी)** में भी यह प्रतिपादित किया है कि छोटी–मोटी तकनीकी भूल के कारण शास्ति आरोपणीय नहीं होती है।

लगातार.....3

6. सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई जांच नहीं की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **सीटीओ प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर बनाम जुहारमल बाबूलाल न्यायिक दृष्टान्त (2007) 5 वी.एस.टी. 276** में यह व्यवस्था दी गई है कि सशक्त अधिकारी द्वारा जांच करना आज्ञापक है। जांच के अभाव में शास्ति आरोपण अविधिक है।

7. उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

04.10.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य